

मध्य रेल

संख्या. पुणे/ सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय

संरक्षा शाखा, पुणे

दि. 07.09.2010

सभी संबंधित

पुणे मंडल

संरक्षा परिपत्र संख्या 05 / 2010-11

विषय – रनिंग स्टाफ को रोड लर्निंग ।

संदर्भ – साधारण तथा सहायक नियम 1999

(स. नि. 3.78(4) का शुद्धिपत्र क्रं. 10 का मद क्रं. 8)

क्या आप सहायक नियम 3.78.4 में किए गये नये संशोधन से वाकिब है ?

आपके ध्यान आकर्षण के लिए संशोधित सहायक नियम 3.78(4) को निचे दोहराया गया है :-

स. नि. 3.78 - 4 - ड्राइवर द्वारा खंड का ज्ञान पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता :-
ड्राइवर यदि किसी खंड में निम्न अवधि तक कार्य न करें तो उन्हें उस खंड की जानकारी रोड लर्निंग के रूप में निम्नानुसार दी जाये:-

ट्रिप्स की संख्या (रोड लर्निंग)		कार्य न करने की अवधि
दिन में	रात में	
2	2	एक साल से अधिक
2	1	3 महिने से अधिक
घाट खंड या स्वचल खंडों में ड्राइवर उपरोक्त के अधिकतम तीन ट्रिप्स की अनुमति प्राप्त कर सकता है ।		

(संदर्भ – वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टि आर एस ओ) सी एस टी एम कि पत्र संख्या बी बी टि आर एस ओ सेफ 3 दि. 16.07.2009)

(सु. रविचंद्रन)

मंडल संरक्षा अधिकारी, पुणे